

यालय तहसीलदार/नायब तहसीलदार, श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 73 / 2018 अंतर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956

अनुवान:- राज्य सरकार बनाम रामलाल



निर्णय

दिनांक:- 27/6/18

आज पत्रावली पेश हुई। गैर सायल अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का बिरागाबास रामसरा अन्तर्गत धारा 91 एल.आर. एक्ट 1956 के तहत इस आशय की रिपोर्ट पेश कि है कि गैर सायल रामलाल पुत्र/पत्नि श्री मनू राम जाति जाट निवासी अमृतवासी द्वारा ग्राम अमृतवासी के अराजी खसरा नम्बर 29 तादादी 18.32 हैक्टेयर किस्म भूमि गै.मु.जो.न. भूमि में से 0.24 हैक्टेयर/वर्गमीटर भूमि पर सम्वत् 2072 में नाजायज पक्का मकान का बाड़ा बनाने का अवैध रूप से अतिक्रमण किया है, अत इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने का अनुरोध किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायल को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 अन्तर्गत नोटिस जारी कर तलब किया गया। गैर सायल को जारी नोटिस विधिवत तामिल कराया गया। गैर सायल द्वारा निम्ना जवाब नोटिस पेश किया। गैर सायल ने लिखा

है कि जमीन का मकान आबादी में प्रकान बनाकर निवासी के
कारण के होने किसे जो-घर भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया है।

उक्त अतिक्रमित भूमि के संबंध में स्वामित्व बाबत कोई दस्तावेज/सबूत गैर सायल द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिससे उक्त भूमि पर इनका स्वामित्व साबित होता हो, जबकि पटवारी हल्का की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि गैर सायल द्वारा उक्त भूमि पर पक्का मकान व बाड़ा बनाने का अतिक्रमण किया है। गैर सायल द्वारा भूमि स्वामित्व संबंधित कोई सन्तोषजनक जवाब/सबूत प्रस्तुत न करने एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट में गैर सायल रामलाल का उक्त खसरा नम्बर 29 तादादी 18.32 हैक्टेयर गै.मु.जो.न. भूमि में से 0.24 हैक्टेयर/वर्गमीटर भूमि पर अतिक्रमण होना साबित होता है। अतः गैर सायल रामलाल अतिक्रमी की श्रेणी में आता है।

अतः गैर सायल रामलाल पुत्र/पत्नि श्री मनू राम जाति जाट निवासी अमृतवासी को ग्राम अमृतवासी के खसरा नम्बर 29 तादादी 18.32 हैक्टेयर गै मु जो.न. भूमि में से 0.24 हैक्टेयर/वर्गमीटर भूमि का सम्वत् 2072 का अतिक्रमी घोषित किया जाकर बेदखली का आदेश पारित किया जाता है तथा लगान 0.24 रुपये का 50 गुणा से 12.00 रुपये शास्ती आरोपित की जाती है।

तहसील राजस्व लेखाकार को मांग कायमी, पटवारी हल्का को शास्ती राशि वसूली एवं हल्का भू-अभिलेख निरीक्षक को अतिक्रमी को भौतिक रूप से बदखल करने एवं कब्जा बहक सरकार लेने हेतु लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 27.6.18 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजिलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील पूर्ति दाखिल राफ़्तार हो।

(Handwritten signature)